>

Title: Need to bring the Government-aided secondary schools in Gujarat under the Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan.

श्री नारनभाई काछडिया (अमरेली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की तरह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरूआत की। इसका मुख्य लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षण के स्तर में सुधार करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को स्कूल में नए भवन, पुराने भवनों की मरम्मत, अध्यापकों की प्रशिक्षण शिक्षा में शासकीय सुधार को लागू करना आदि स्कीम सिर्फ सरकारी स्कूलों पर लागू होती है। ग्रांटेड एवं सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। गुजरात देश का एक ऐसा राज्य है जहां सरकारी स्कूलों की संख्या मात्र पांच सौ है जबकि साढ़े पांच हजार सरकारी अनुदान प्राप्त माध्यमिक स्कूल हैं। चूंकि ग्रांटेड स्कूलों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए गुजरात में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लाभ केवल पांच सौ सरकारी स्कूलों तक सीमित है। योजना आयोग के मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य को धन आवंटन में असमानता उत्पन्न होती है। इस असमानता को दूर करने के लिए मापदंड आधारित धन आवंटन प्रक्रिया अपनानी चाहिए तथा ग्रांटेड स्कूलों को भी सम्मिलित करना चाहिए। सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 2,602 करोड़ रुपये में से मात्र 20 करोड़ रुपये प्रोजैक्ट हेतु प्राप्त हुए, जोकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्यों का धन आवंटन असमानता का बहुत बड़ा उदाहरण है।

अंत में, मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस दिशा में व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए तथा सरकारी अनुदान प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सम्मिलित करने का निदेश जारी करे।